सी.एस.आई.आर.- केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्)
सेक्टर 10, जानकीपुरम विस्तार, सीतापुर रोड, लखनऊ - 226 031 (भारत)
CSIR - Central Drug Research Institute
(Council of Scientific & Industrial Research)
Sector 10, Janakipuram Extension, Sitapur Road, Lucknow - 226 031 (India)

सं0 5(29)/2015 स्था0–। दिनांकः 18 जुलाई, 2024

अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति हेतु गठित समिति की कार्यवाही (Proceedings)

सीएसआईआर के परिपत्र सं0 5–1(441)/08–पीडी दिनांक 05 नवम्बर, 2014 के माध्यम से डीओपीटी के पृष्ठांकित कार्यालय ज्ञापन सं. 14014/02/2012–Estt(D) दिनांक 16 जनवरी, 2013 के बिन्दु 13 procedure के उप–बिन्दु (c) के अनुसार निदेशक, सीएसआईआर–केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा संस्थान में अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति सम्बन्धी मामलों पर विचार करने हेतु गठित निम्नलिखित Compassionate Appointment Committee की बैठक दिनांक 18 जुलाई, 2024 पूर्वाहन् 10:00 बजे कक्ष सं. 105 में सम्पन्न हुईः–

1. डॉ. समन हबीब, चीफ साइंटिस्ट – अध्यक्ष
2. श्री भास्कर ज्योति देउरी, वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक – सदस्य
3. श्री संजीव शेखर, वित एवं लेखा नियंत्रक – सदस्य
4. श्री रणवीर सिंह, प्रिंसिपल साइंटिस्ट एवं Welfare Officer – सदस्य

समिति की पूर्व बैठक दिनांक 17 जनवरी, 2024 में समिति ने श्री छवि लाल थापा, पुत्र स्व. टी. बी. थापा से उनके द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 21 अप्रैल, 2021 में परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत अनापत्ति प्रमाण–पत्र कि यदि उन्हें अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाती है, तो परिवार के अन्य सदस्यों को कोई भी आपत्ति नहीं होगी सम्बन्धित दस्तावेज तथा उनके बड़े भाई श्री हस्त बहादुर थापा का अनापत्ति प्रमाण–पत्र तथा monthly income (तहसील द्वारा जारी आय प्रमाण–पत्र) सम्बन्धित दस्तावेज मांगने की अनुशंसा की थी। श्री छबि लाल थापा द्वारा दिनांक 06 फरवरी, 2024 को श्री हस्त बहादुर थापा द्वारा प्रस्तुत अनापत्ति प्रमाण–पत्र तथा आय प्रमाण–पत्र समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

समिति को अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति से सम्बन्धित नियमों और विनियमों, जिन्हें डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन सं. 14014/6/94–स्था. (डी) दिनांक 09 अक्टूबर, 1998, जिसे सीएसआईआर के पत्रांक 17(108)/78–ई.।। दिनांक 18.11.1998 तथा अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति के समेकित तथा संशोधित निर्देशों, जिसे डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन सं. 14014/02/2012–स्था.(डी) दिनांक 16 जनवरी, 2013 द्वारा पृष्ठांकित किया गया है तथा सीएसआईआर मुख्यालय द्वारा अधिसूचित परिपत्र सं. 5-1(41)/2008-PD दिनांक 14.11.2022 से अवगत कराया गया। समिति को यह भी अवगत कराया गया कि 01 एमटीएस की कनिष्ठ सचिवालय सहायक (सामा.) के पद पर पदोन्नति के परिणामस्वरूप एमटीएस का 01 पद दिनांक 16 नवम्बर, 2023 से रिक्त है तथा सीएसआईआर के पत्रांक 5–1(14)/2008–पीडी दिनांक 25 जनवरी, 2024 तथा दिनांक 06 जुलाई, 2024 द्वारा अधिसूचित कैडर पुनर्गठन में स्वीकृत पद 05 वर्ष की अवधि तक विद्यमान रहेंगे। उक्त में निर्दिष्ट निर्देशानुसार उक्त पद की रिक्ति 05 वर्ष से कम समयावधि की है।

क्रमशः/–

18/7/24 18/7/2024 18/7/24

उक्त के अतिरिक्त समिति को यह भी अवगत तथा स्पष्ट किया गया कि अनुकम्पा नियुक्ति, समूह 'ग' और पूर्ववर्ती समूह 'घ' स्तर पर 'तकनीकी पदों' के लिए भी की जा सकती है। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया कि रिक्तियों के 5 प्रतिशत कोटा की गणना तकनीकी पदों में एक वर्ष में उत्पन्न हुई सीधी भर्ती से की जाने वाली कुल रिक्तियों के आधार पर रिक्ति वर्ष 2023 हेतु कुल 01 पद रिक्त हैं। (संदर्भ–दिनांक 19.01.2007 के का.ज्ञा. सं. 14014/322005–स्था. (घ) का पैरा 2)

समिति के समक्ष उक्त 01 विचारार्थ मामले का आवेदन पत्र, स्थापना–।। अनुभाग द्वारा दिवगंत कर्मचारी की व्यक्तिगत सेवा–पंजिका से विवरण का सत्यापन, वित एवं लेखानुभाग द्वारा मृतकाश्रितों को किये गये भुगतान के सत्यापन सम्बन्धी दस्तावेज तथा उक्त के आधार पर तैयार की गयी निम्नलिखित Synopsis को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त समिति द्वारा पूर्व में श्री छवि लाल थापा, पुत्र स्व. टी. बी. थापा के मामले में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16 जुलाई, 2018 के अनुसरण में श्री छविलाल थापा द्वारा प्राप्त नवीन आवेदन पत्र दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 पर विचार करने की अनुशंसा पूर्व बैठक में की गयी थी:–

Total Number of Vacancy for the Year 2023 - 01

Summary of Statement prepared on the basis of information provided by concerned sections and the Applicants: -

Sl No.	Name with Designation, Date of Birth, Date of Death and age at the time of death	Length of service left with at the time of death	Terminal Benefits	Asset as informed by applicant	Present Family pension Plus Relief (Rs)	Family members of the Ex-Government Servant	Name of Candidate for Appointment with his/her Date of Birth and Qualification	Remarks
1.	Late Til Bahadur Thapa, Tech. Gr. I(4) DOB=18.06.57 DOD=27.12.13	3 yrs. 6 months & 3 days	GPF = 9,2359 RGIS = 45337 DCRG =307261 L.E. = 124497 DLI =60000 GT=6,29,454	OWN HOUSE (1650 Sq. Ft.)	19,050/-	Smt. Girmati Thapa (Wife), 59 Yrs., Mr. Sitaram Thapa (Son), 33 Yrs., Mr. Hast Bahadur Thapa (Son), 43 Mr. Chabilal Thapa, (Son),27 Yrs.	Mr. Chabilal Thapa, 18-05-1991, Intermediate passed	

क्रमशः/–

समिति ने उपरोक्त Synopsis के आधार पर निम्नलिखित अनुशंसा की:–

1. समिति ने फैमिली पेंशन, Terminal Benefits (मृत्योपरांत) मासिक आय तथा चल–अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित अद्यतन सूचना (updated/latest) जबकि number of dependents, number of unmarried daughters, number of minor children की सूचना आवेदक द्वारा अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति हेतु पूर्व (at the time of death) में प्रस्तुत/उपलब्ध कराये गये प्रार्थना–पत्र के आधार पर विचार किया। इसके अतिरिक्त समिति ने कोऑपरेटिव लोन इत्यादि को आय का अंग मानते हुए Gross Terminal Benefits के आधार पर भारांश (weightage) प्रदान किये।

2. समिति को सूच्य है कि श्री छबिलाल थापा के मामले में दिनांक 09 जुलाई, 2021 की पूर्व बैठक में तत्समय adopt criteria के आधार पर 37 अंक का भारांश प्रदान किया था तथा 35 या अधिक भारांश प्राप्त मामलों को पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करने की अनुशंसा की थी।

3. समिति ने तदनुसार उक्त मामले हेतु पात्रता के निर्धारण के लिये प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर **CSIR letter No. 5-1(41)/2008-PD dated 14.11.2022** द्वारा निर्मित एक भारांश तालिका का निर्माण किया, जिसमें कुल 09 मानकों (100 अंको) पर मृतकाश्रितों को भारांश निम्नानुसार प्रदान किये:–

1. फैमिली पेंशन – अद्यतन **(updated/latest)**
2. टर्मिनल बेनीफिट्स – मृत्योपरांत
3. परिवार के उपार्जक सदस्य (Earning Member) की वार्षिक आय तथा सम्पत्ति से आय – अद्यतन **(updated/latest)**
4. चल–अचल सम्पत्ति – अद्यतन **(updated/latest)**
5. अवशेष सेवा **(at the time of death)**
6. अविवाहित पुत्रियों की संख्या – अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति हेतु प्रथम आवेदन में उल्लिखित सूचना/ **at the time of death**
7. आश्रित अल्पवयस्क बच्चों की संख्या – अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति हेतु प्रथम आवेदन में उल्लिखित सूचना/ **at the time of death**
8. यदि मृतक सरकारी कर्मचारी की पत्नी ने स्वयं के लिए अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन किया है।
9. यदि आश्रित परिवार के सदस्यों में से एक या अधिक व्यक्ति विकलांग है।

18/7/24 18/7/2024 18/7/24

क्रमशः/–

WEIGHTAGE POINTS FOR COMPASSIONATE APPOINTMENT

(As per Annexure I to CSIR letter No. 5-1(41)/2008-PD dated 14.11.2022)

Sr. No.	Particulars			Points	Late Til Bahadur Thapa Tech. Gr. I(4) DOB-18.06.57 DOD-27.12.13
(i)	Family Pension (Basic excl. DR & Allowances (i) Upto 10,000 - 20 (ii) 10,001–13,000 - 18 (iii) 13,001-16000 - 16 (iv) 16,001-19000 - 14 (v) 19,001-22,000 - 12 (vi) 22,001-25,000 - 10 (vii) 25,001-28000 - 08 (viii) 28,001 & above - 06			(20 points)	Rs. 19,050/- Weightage Point-12
(ii)	Terminal benefits i.e. Lump sum amount received by the family on death of Govt. Servant (i.e. DCR Gratuity, GPF/Lump sum amount under NPS, CGEGIS, Leave encashment etc.)			(10 points)	Rs. 6,29,454/- Weightage Point- 07
	For post 01.01.2016	For pre 01.01.2016 death	Weightage Points		
	Upto 10,00,000	Upto 4,50,000	10		
	10,00,001-12,00,000	4,50,001-5,25,000	09		
	12,00,001-14,00,000	5,25,001-6,00,000	08		
	14,00,001-16,00,000	6,00,001-6,75,000	07		
	16,00,000-18,00,000	6,75,001-7,50,000	06		
	18,00,001-20,00,000	7,50,001-8,25,000	05		
	20,00,001-22,00,000	8,25,001-9,00,000	04		
	22,00,001-24,00,000	9,00,001-9,75,000	03		
	24,00,001-26,00,000	9,75,001-10,50,000	02		
	26,00,001-& Above	10,50,001- & Above	01		

18/7/24   18/7/2024   18/7/24

क्रमशः /—

(iii)	Annual income of earning member(s) of the family and income from property (1) Nil to 1,00,000 - 10 (2) 100,001 to 3,00,000 - 08 3,00,001 to 5,00,000 - 06 5,00,001 to 7,00,000 - 04 (5) 7,00,001 to 9,00,000 - 02 (6) Above 9,00,000 - 00	(10 points)	Rs. 96,000/- Weightage Point- 10
(iv) 1. 2. 3. 4. 5. 6.	Immovable Property Proposed Slab - Points Nil - 10 Upto 200 Sq ft - 08 201 to 400 Sq. ft - 06 401 to 700 sq. ft. - 04 701 to 1100 sq. ft. - 02 1101 or more sq. ft. - 00	(10 points)	Own House (1650 Sq. Ft.) Weightage Point- 00
(v)	Leftover Service of the deceased council employee (i) Upto 02 years - 01 (ii) Upto 04 years - 02 (iii) Upto 06 years - 03 (iv) Upto 08 years - 04 (v) Upto 10 years - 05 (vi) Upto 12 years - 06 (vii) Upto 14 years - 07 (viii) Upto 16 years - 08 (xi) Upto 18 years - 09 (xi) Upto 20 years - 10 (xii) Upto 22 years - 11 (xiii) Upto 24 years - 12 (xix) Upto 26 years - 13 (xx) Upto 28 years - 14 (xxi) Upto 30 years & above - 15	(15 points)	3 yrs. 6 months & 3 days Weightage Points-02

क्रमश: /—

(vi)	Number of unmarried daughters (1) 01 - 05 (2) 02 & above - 10	(10 points)	None Weightage Point- 00
(vii)	Number of Dependent Minor Children (i) 01 - 03 (ii) 02 & above - 05	(05 points)	None Weightage Points-00
(viii)	If Wife of the deceased Govt. Official has applied for compassionate appointment for herself.	(10 points)	None Weightage Points-00
(ix)	If one or more person amongst the dependent family members is disabled. Sl. No. / Percentage Disability / Points 1. Up to 40 % - 04 2. 40-60 % - 06 3. 60-80 % - 08 4. 80-100 % - 10	(10 points)	None Weightage Points-00
	Total	100 Points	31

क्रमशः/—

अनुशंसाः–

1. डी0ओ0पी0टी0 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14014/02/2012 ESTT.(D) दिनांक–16.01.2013 सीएसआईआर मुख्यालय द्वारा अधिसूचित परिपत्र सं.5-1(41)/2008-PD दिनांक 14.11.2022 में अनुकम्पा आधार पर वर्णित उद्देश्य और रिक्ति वर्ष 2023 हेतु उपलब्ध 01 रिक्ति को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित मानकों में प्रदत्त भारांश के अनुसार तंगहाल आर्थिक स्थिति वाले 01 आवेदक को निम्नलिखित पद हेतु अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति प्रदान किये जाने की अनुशंसा की, जिनका विवरण निम्नवत हैं:–

क्रम सं.	संस्तुत कर्मचारी का नाम तथा मृतक कर्मचारी का नाम	आवेदक की शैक्षिक योग्यता	आवेदन के समय आवेदक की आयु	पद हेतु योग्य	रिक्ति वर्ष	भारांश	अभ्युक्ति	नियम एवं शर्तें
1.	श्री छबिलाल थापा पुत्र स्व. तिल बहादुर थापा	इण्डरमीडिएट	27 वर्ष (DOB 18.05.1991)	एमटीएस	2023	31	Recommended for the post of MTS. (Essesntial Qualification Matriculation or equivalent pass of ITI pass)	Appointed to the post of Multi-Tasking Staff (erstwhile Group 'D' Non Technical i.e. Group C Non-Technical Staff in the Pay Matrix [18000-56900]/Level -1, Cell-1 (7th CPC).

2. समिति ने चूंकि श्री छबिलाल थापा की आयु **MTS** पद की अधिकतम वांछित आयु (25 वर्ष) से लगभग 02 वर्ष अधिक है, अतः सक्षम प्राधिकारी से मामले में वांछित छूट प्रदान करने की संस्तुति की।

3. समिति ने सीएसआईआर मुख्यालय द्वारा नवीन भारांश के सम्बन्ध में अधिसूचित परिपत्र सं.5-1(41)/2008-PD दिनांक 14.11.2022 के अनुपालन में भविष्य हेतु न्यूनतम cut off 30 अंक का भारांश निर्धारित करने अर्थात् 30 या अधिक भारांश प्राप्त मामलों को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने तथा 30 से कम प्राप्त भारांश को समिति के समक्ष पुनः न प्रस्तुत करने की अनुशंसा की।

नोटः– 1. किसी भी आवेदक का समिति के किसी भी सदस्य से सम्बन्ध नहीं है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि समिति को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं किया गया है।

18/7/24
(रणवीर सिंह)
सदस्य

18/7/24
(भास्कर ज्योति देउरी)
सदस्य

(संजीव शेखर)
सदस्य

18/7/2024
(डॉ. समन हबीब)
अध्यक्ष

अनुमोदित
18/7/2024